भारत संचार निगम लिमिटेड
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
CORE NETWORK TRANSMISSION – SOUTH CIRCLE

सागर संचार
SAGAR SANCHAR

वार्षिक पत्रिका

2023 – 2024

सागर संचार

पहला अंक

वर्ष : 2023-2024

संरक्षक व अध्यक्ष : श्री .पी .मुरली मोहन ,
मुख्य महाप्रबंधक व अध्यक्ष
राजभाषा कार्यांवयन समिति

सह संरक्षक : श्रीमती .इन्दु जैसल
उप महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना
व मुख्य राजभाषा अधिकारी

सह संरक्षक : श्री.श्रीधर विद्या शंकर
मुख्य लेखाधिकारी (आं वि स)
व सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

सह संरक्षक : श्री. राजशेखर . एस
महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना

सह संरक्षक : श्री. वर्गीस मैथ्यू
महाप्रबंधक (मुख्या) अनुरक्षण

संपादक : श्रीमती.राजेश्वरी बी.अक्की
सहायक महाप्रबंधक (प्रशा)

: श्रीमती .एम .सुलताना शाहीन
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

तकनीकी संपादक : श्री. देवीलाल नायक. बी.एच
सहायक महाप्रबंधक (ट्रांसनेट), वारंगल

इस अंक में/INDEX

1. संरक्षक की कमल से 1
2. प्रधान महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना का संदेश.....2
3. प्रधान महाप्रबंधक (मुख्या) अनुरक्षण का संदेश.....3
4. संयुक्त महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना का संदेश.....4
5. प्रधान महाप्रबंधक कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण – एरणाकुलम &लक्ष्द्वीप.....5
6. महाप्रबंधक कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण – तमिलनाडु.....6
7. महाप्रबंधक कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण – बंगलूरु.....7
8. संपादक के कलम से 9
9. राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम –वर्ष 2023 -2024 का उद्धरण.....10
10. MY YET ANOTHER EVENING.....20
11. पैसे को समझने में गलत धारणाएँ.....22
12. Arbitration ACT 1996.....23
13. சில இதயங்கள் !.....28
14. कोच्ची –लक्षद्वीप पनडुब्बी परियोजना – अवलोकन.....29
15. चित्र - स्टाफ केबच्चों द्वारा किए गए चित्र.....33
16. हिंदी पखवाडा -2023 की झलकियाँ 40
17. महाप्रबंधक – कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन दक्षिण -एरणाकुलम &लक्ष्द्वीप की उपलब्धियाँ.....42
18. नराकास चेन्नै द्वारा आयोजित संगीत व अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिए अधिकारियों को सम्मानित 43
19. कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता में भाग लिए कलाकारों और पुरस्कृत विजयताओं की झलकियाँ.....44
20. हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम 49

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्री.पी.मुरली मोहन, आई .टी .एस
मुख्य महाप्रबंधक व अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
चेन्नै -600 032

संरक्षक की कलम से

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि **" सागर संचार "** पत्रिका निकाली जा रही है । "दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र " और "दक्षिण दूरसंचर परियोजना" दोनो कार्यालयों के विलयन से " कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल " का सृजन हुआ है। इस शुभ अवसर पर **" कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल "** अपनी गृह पत्रिका **" सागर संचार "** का पहला अंक प्रकाशित कर रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से इस परिमंडल के कर्मचारी एंव उनके परिवार को अपनी हिंदी निपुणता दर्शाने का अवसर मिल रहा है।

जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजभाषा हिंदी की प्रगति व उसके प्रचार – प्रसार में गृह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह गृह पत्रिका भी राजभाषा हिंदी की और अधिक प्रचारित व प्रसारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी । मैं यह भी मानता हूँ कि यह पत्रिका कार्यालय के कार्मिकों को अपनी सृजनशीलता को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होगी। इसमें समाहित सामग्री पाठक वर्ग के बौद्धिक विकास को बढाने में अहम भूमिका निभाएगी ।

मैं आशा करता हूँ कि हमारे " कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल " का परिवार आगे की सफलता के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन के विकास में योगदान प्रदान करेगा।

" सागर संचार " - मैं इस पत्रिका के प्रकाशन से जुडे सभी सदस्यों व संपादक मंडल को इस के सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

पी. मुरली मोहन

पी. मुरली मोहन
मुख्य महाप्रबंधक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
चेन्नै -600 032.

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्री. राजशेखर .एस , आई .टी .एस
महाप्रबंधक (मुख्यालय) परियोजना
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

संदेश

मुझे बेहद खुशी हो रही है यह व्यक्त करते हुए कि कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन - दक्षिण परिमंडल का राजभाषा कक्ष **"सागर संचार"** गृह पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। हर्ष की बात यह है कि कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन - दक्षिण परिमंडल के अंर्तगत आने वाले सभी कार्यालयों के कार्मिकों ने अपना योगदान दिया है।

राजभाषा कार्यान्वयन की वृद्धि में गृह पत्रिका प्रकाशन एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जिन कार्मिकों ने योगदान दिया है ,वे सराहानीय के पात्र हैं।

अंत: मैं इसके प्रकाशन से जुडे सभी संपादक मंडल को इस पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

राज शेखर

श्री. राजशेखर .एस
महाप्रबंधक (मुख्यालय) परियोजना
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्री . वर्गीस मैथ्यू , आई टी एस
महाप्रबंधक (मुख्यालय) अनुरक्षण
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

संदेश

यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि **"सागर संचार"** का पहला अंक का प्रकाशन किया जा रहा है । राजभाषा कार्यांवयन में बी एस एन एल ,कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल चेन्नै परिवार के सभी अधिकारी / कर्मचारियों की प्रतिभा और उत्साह इस पत्रिका के माध्यम से उजागर किया जा रहा है ।

"सागर संचार" - गृह -पत्रिका प्रकाशन एक बहुत ही अहम अंग और महत्वपूर्ण गतिविधि है और इस कार्य को हिंदी अनुवादक द्वारा बहुत ही बारीकी और सावधानी से किया गया है । मैं आगामी उत्सव के लिए कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल परिवार के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ ।

वर्गीस

वर्गीस मैथ्यू
महाप्रबंधक (मुख्यालय) अनुरक्षण
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्रीमती.इन्दु जैसल
उप महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना / मुख्य राजभाषा अधिकारी
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
चेन्नै -600 032.

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल, बी एस एन एल चेन्नै अपनी वार्षिक गृह पत्रिका**" सागर संचार "** का पहला अंक प्रकाशन करने जा रहा है। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा एंव समर्पण का प्रतीक है ।

राष्ट्र को एकसूत्र में बांधने में हिंदी भाषा एक सशक्त माध्यम है। हम सबका दायित्व है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए उसका प्रचार –प्रसार करें । हिंदी को बढावा देने में हमारा सहयोग निरंतर बना रहेगा । राजभाषा कार्यान्वयन की वृद्धि में गृह पत्रिका प्रकाशन एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जिन कार्मिकों ने योगदान दिया है, वे सराहानीय के पात्र हैं।

"**सागर संचार**" के सफल प्रकाशन की हार्दिक कामना करती हूँ । मैं पत्रिका प्रकाशन के सार्थक प्रयास की सफलता के लिए शुभाकामनाएँ देती हूँ।

इन्दु जैसल
उप महाप्रबंधक (मुख्या) परियोजना / मुख्य राजभाषा अधिकारी-
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

डॉ.बी.श्रीरामचंद्र मूर्ति , आई .टी .एस
महाप्रबंधक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण – चेन्नै (तमिलनाडु)
चेन्नै -600 001.

संदेश

मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्वानुभव का विषय है कि भारत संचार निगम लिमिटेड - कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण, परिमंडल - चेन्नै के तत्वाधान में राजभाषा हिंदी का प्रयोग व प्रचार प्रसार बढाने के उद्देश्य से वार्षिक पत्रिका **"सागर संचार "** के पहला अंक का प्रकाशन हो रहा है।

इस पत्रिका के माध्यम से समस्त कर्मचारियों के मन के बौध्दिक विचारों को स्थाई लेख –रचनाओं के रूप में प्रस्तुत करने से जुडी लेखन क्षमता का विकास करने के साथ - साथ अपने आप को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान कर रहा है। यह प्रयास सराहनीय एवं प्रेणादायक है।

मैं **"सागर संचार"** पत्रिका के संपादक मडंल एवं रचनाकारों को इस सार्थक प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ ।

डॉ.बी.श्रीरामचंद्र मूर्ति
महाप्रबंधक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण – चेन्नै (तमिलनाडु)
चेन्नै -600 001.

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सुकुमारन एन के
प्रधान महा प्रबंधक
कोर नेटवर्क- ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप

मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि मुख्य महा प्रबंधक कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन दक्षिण चेन्नै के कार्यालय से हिंदी गृह पत्रिका “सागर संचार”का पहला अंक प्रकाशित हो रहा है। इस गृह पत्रिका के माध्यम से हम पूरे कोर नेटवर्क – ट्रांसमिशन दक्षिण एक साथ जुड़ सकते है। यह गृह पत्रिका हमारी भावनाओं , गतिविधियों और उपलब्धियों को एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। “सागर संचार” में प्रकाशित रचनायें आप सभी के ऊर्जा , उत्साह और हिंदी भाषा के प्रति आपका समर्पण का प्रतीक है। आपकी संप्रेषणों और सहयोग की प्रतीक्षा करते हुए यह पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत है। “सागर संचार” की सफलता के लिए हार्दिक शुभाकामनाएं॥

सुकुमारन एन के
प्रधान महा प्रबंधक
कोर नेटवर्क- ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत संचार का उद्यम)

श्री. जे. रमेश, आई टी एस
प्रधान महा प्रबंधक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन-दक्षिण, बेंगलूरू (कर्नाटक)
बेंगलूरू – ५६० ०४१.

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोर नेटवर्क ट्रांस्मिशन् – दक्षिण परिमंडल, बी एस् एन् एल् चेन्नै अपनी वार्षिक गृह पत्रिका " **सागर संचार** " का पहला अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह अति उत्तम प्रयास है, और इस प्रकाशन से राजभाषा का सम्मान और भी बुलंदियों पर पहुँच जाता है।

" **सागर संचार** " के माध्यम से हिंदी की ओर कर्मचारियों की रुची और उभरेगी और वे अपनी सृजनशीलता को अभिव्यक्त करने में समर्थ होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्रिका न केवल परिमंडल कार्यालय के हिंदी प्रेमियों को अपनी सृजनात्मकता के प्रदर्शन का मंच बनेगी बल्कि परिमंडल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को आपस में जोड लेगी और अपनी रचनाओं को सांझा करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

इस प्रकाशन से जुडे सभी संपादक मंडल को इस पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

03/01/23

(जे. रमेश)
प्रधान महा प्रबंधक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन-दक्षिण, बेंगलूरू (कर्नाटक)
बेंगलूरू.

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्री.श्रीधर विद्या शंकर
मुख्य लेखाधिकारी – आं वि स / सह मुख्य राजभाषा अधिकारी
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
चेन्नै -600 032.

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन - दक्षिण परिमंडल, बी एस एन एल **चेन्नै** अपनी वार्षिक गृह पत्रिका **" सागर संचार "** का पहला अंक प्रकाशन करने जा रहा है। यह अति उत्तम प्रयास है , ऐसे प्रयासों से राजभाषा का सम्मान और भी बुलंदियों पर पहूँच जाता है, यह एक सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास है ।

" सागर संचार " के माध्यम से हिंदी की ओर कार्मिकों की रूची और उभारेगी और वे अपनी सृजनशीलता को अभिव्यकत करने में समर्थ होंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्रिका न केवल परिमंडल कार्यालय के हिंदी प्रेमियों को अपनी सृजनात्मकता के प्रदर्शन का मंच बनेगी बल्कि परिमंडल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को आपस में जोड लेगी और अपनी रचनाओं को सांझा करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

श्रीविद्याशंकर

श्री.श्रीधर विद्या शंकर
मुख्य लेखाधिकारी – आं वि स / सह मुख्य राजभाषा अधिकारी
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण परिमंडल
चेन्नै -600 032.

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

श्रीमती.एम .सुलताना शाहीन
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

संपादक की कलम से

कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन - दक्षिण परिमंडल की राजाभाषा पत्रिका **"सागर संचार "** का पहला अंक आपके सम्मुख रखते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है । इस पत्रिका का मूल उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रचार व प्रसार को बढावा देना है । अधिकारियों व कर्मचारियों से प्राप्त लेख व ज्ञानवर्धक सामग्री को आप के सामने लाने का प्रयास किया गया है ।

मैं इस अंक के प्रकाशन में अपना सम्पादन सहायोग देने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ । जिन्होंने इस प्रकाशन को सफल बनाया है ।

मेरी सभी पाठकों से अनुरोध है कि वे इस पत्रिका के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दें ,ताकि आगामी अंक में सुधार ला सकें और अधिक रोचक एवं आकर्षक बनाया जा सकें । आप सब की निरंतर सहयोग की अपेक्षा रहेगी ।

एम .सुलताना शाहीन

एम .सुलताना शाहीन
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन – दक्षिण
चेन्नै -600 032.

Important Directions regarding Official Language Policy

1. Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender Forms should invariably be issued bilingually both in Hindi and English. Under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976, it shall be the responsibility of the person signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed or issued in both Hindi and English languages.

2. As per Rule 5 of Official Language Rules, 1976, communications received in Hindi are to be replied to in Hindi only by the Central Government Offices.

3. Under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices are required to notify the names of the offices in the official gazette, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi. The following items of work should be done in Hindi in the branches of the banks notified under Rule 10 (4) of the Official Language Rules, 1976:-

"Demand Drafts issued on applications filled in Hindi by customers and on applications filled in English with the consent of customers. Payment Order, Credit Card, Debit Card, all kinds of lists, returns, fixed deposit receipts, communications etc. regarding cheque-book, entries in daily Ledger, Muster Roll, Dispatch Book, Pass Book, entries in Log Book, work relating to priority areas, security and customer services, opening of new accounts, writing addresses on envelopes, work relating to travelling allowance, leave, provident fund, house building advance, documents related to medical facilities for the employees, agenda and minutes of the meetings."

4. Under Rule 8 (4) of the Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices to issue orders to the employees of the notified offices who have proficiency in Hindi to work only in Hindi for noting, drafting and for such other official purposes as specified in the order.

5. As per Rule 11 of the Official Language Rules, 1976, all manuals, codes and other procedural literature relating to Central Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form. The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English. All name-plates, sign-boards, letter-heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government office, shall be in Hindi and in English. Accordingly, the Central Government Offices are required to send all manuals, codes and other procedural literature relating to Non-Statutory procedural literature to Central Translation Bureau for translation.

6. Rule 12 of the Official Language Rules, 1976 requires the Administrative Head of each Central Government Office to ensure that the provisions of the Official Languages Act, Official Language Rules and directions issued thereunder are properly complied with and to devise suitable and effective check points for this purpose.

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं ।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

"ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।"

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों ।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी । तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम,1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं ।

7. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs has re-emphasized on the suggestions given by the Hon'ble Prime Minister in the minutes of the 31st meeting of the Central Hindi Committee. These suggestions are: - To reduce the gap between official Hindi and Hindi used by public, to take measures to further enrich Hindi through other languages of the country, to adopt good words from other languages into Hindi, to add good words in Hindi from other Indian languages to ensure translation in Hindi in simple language so that official language is not a hindrance but a help in the propagation of Hindi.

8. The Department of Official Language has urged all the Secretaries to the Government of India/Heads of various Government Organizations that when they preside over the meeting of senior officers every month, they should also review the progress made in official work in Hindi in those meetings and discuss about the implementation of various provisions of Official Languages Act and Rules in their organization.In addition, the Joint Secretary (Administration) / Administrative Head of the organization should be entrusted with the responsibility of Hindi implementation and to preside over the meeting of the Official Language Implementation Committee in every quarter of the year.

9. The Official Language Cadre should be constituted in the Offices/Undertakings/Banks etc. and it should be in conformity with the total posts. The Hindi officers of the subordinate offices of the Ministries/Departments should be given the same pay scale and designation as the Central Secretariat Official Language Service Cadre.

10. The answers of question papers, except that of the compulsory paper of English, should also be allowed to be written in Hindi in recruitment examinations of subordinate services and such question papers should be made available both in Hindi and English. In interview or oral test, the candidates may be allowed the option to answer in Hindi.

11. The candidates should have the option to answer the question papers of all in-service, departmental and promotion examinations (including All India Level Examinations) conducted by the Central Government Offices, in Hindi. The question papers should compulsorily be set in both the languages, Hindi and English. In interviews, the candidates may be allowed to answer the questions in Hindi.

12. Scientists etc. should be motivated and encouraged to read their research papers in the Official Language Hindi in all the scientific/technical seminars and discussions etc. Research papers should relate to the main subjects of the Ministry/ Department and Office concerned.

13. All Central Government Ministries/Departments/Offices etc. may organize Hindi Seminars.

14. Every type of training, whether long-term or short term, generally be imparted through Hindi medium in 'A' and 'B' Regions. To impart training in 'C' Region, the training material be prepared both in Hindi and English and made available to the trainees in Hindi or English as per their requirements.

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: बल दिया है | ये सुझाव हैं :- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो |

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें | साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए |

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो । मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं ।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें ।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षु की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

15. No Non-Governmental Organization has been authorized to impart training of Official Language to the employees of Central Government Offices by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Sufficient number of training centres across the country are functioning under the Department of Official Language and they impart various types of training to the officers and employees of the Central Government free of cost and they also organize workshops for deliberations on Official Language. As per the directions of Department of Official Language, all the Central Government Offices organize workshops for encouraging the use of Official Language in their respective offices. Besides English, the facility of imparting online training of Hindi language through 14 Indian languages is available on the website of Department of Official Language. Thus, it is not appropriate to incur infructuous expenditure from the Government exchequer for participation in Official Language training and workshops organized by NGOs.

16. To overcome the difficulties faced by various offices in doing the official work in Hindi, new guidelines have come into effect forthwith to organize Hindi workshops. According to new guidelines, the duration of workshop should be minimum one working day. Minimum two third of the time of workshop shall be devoted to the actual practice of doing the official work in Hindi on the subjects related to that office.

17. On the demand of Central Government offices, Central Hindi Training Institute imparts training for Hindi language, Hindi typing and Hindi Stenography through video conferencing also.

18. So long as the prescribed targets regarding Hindi typists and Hindi stenographers are not achieved in the Central Govt. Offices, only Hindi typists and Hindi stenographers should be recruited.

19. Officers/ employees associated with translation work & implementation of Official Language Policy may be nominated for compulsory Translation Training in the Central Translation Bureau. Officers/ employees having knowledge of Hindi and English both, at degree level whose services are likely to be utilized for translation work by the office may also be nominated for translation training.

20. Translators should be helped out with aids like standard dictionaries (English-Hindi, Hindi-English) and other technical glossaries.

21. The officers of IAS and other All India Services are imparted compulsory training in Hindi during their training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie so that they could make use of it in official work. However, most of the officers do not use Hindi in their official work after joining the service. As such, officials/employees working under them do not get the right message. Consequently, Hindi is not used in official work to the extent required. It is the constitutional obligation on senior officers of the Central Government Offices to make progressive use of Hindi in their official work. This, in turn, will motivate the officials/employees working under them, thereby giving impetus to the compliance of the Official Language Policy.

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं । राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है । अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए ।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

19. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है ।

20. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए ।

21. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें । तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी ।

22. All the Central Government Offices should widely promote and propagate the various incentive schemes in their Offices in order to accelerate the use of Hindi, so that maximum number of officials/employees are benefited by these schemes and maximum official work should be done in Hindi.

23. All the Central Government Offices should take necessary steps to enrich their Departmental Glossaries.

24. Hindi magazines are being published by the Central Government Offices to generate working environment in Hindi. General activities and original articles pertaining to the particular office should be published in these magazines. Main provisions of Official Language Policy may also be mentioned in these magazines. The Central Government Offices are required to bring out e-version of these magazines and to upload them on the 'E-Patrika Pustakalaya' platform provided by the Department of Official Language to facilitate smooth access of the In-house magazines to the readers.

25. It has been noticed that in the website of many Departments, information in Hindi is not being provided or in some cases it is not available completely in Hindi. Website should, therefore, be developed and updated in Hindi, regularly.

26. The Department of Official Language, every year conducts Basic Computer Training Programmes in Hindi through Central Hindi Training Institute and the duration of each programme is five days. Maximum number of officers/employees may be nominated for these training programmes. Trainees will be able to work in Hindi on computer after completion of the training programme. Details of the programmes are available at the website of the Central Hindi Training Institute at www.chti-rajbhasha.gov.in.

27. The Department of Official Language bestows the **'Rajbhasha Gaurav Puraskar'** with an objective to encourage writing books originally in Hindi in various streams of contemporary knowledge/science and to promote use of official language Hindi. "**Rajbhasha Kirti Puraskar**" are given by the Department of Official Language to Ministries/Departments, Public Sector Undertakings, Boards/Autonomous Bodies/Trusts etc., Nationalized Banks and in-house Hindi Magazines which register significant progress in the use of Official Language. Information about these two award schemes is available at the website of the Department of Official Language www.rajbhasha.gov.in.

28. The Department of Official Language, on its website, has provided links of various institutions through which one can see the glossary of those institutions. If any office has prepared its own glossary, it may be shared with this Department so that others may also benefit out of it.

29. Hindi translation of the generally used English sentences has been provided by the Department of Official Language on its website under the heading "**E-Saral Hindi Vakyakosh**" so that officers may write noting in Hindi on files easily by using them.

30. International Treaties and Agreements should invariably be prepared both in Hindi as well as in English. There should be authentic translations of Treaties and Agreements entered into in other countries and they should be kept on file for record.

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो ।

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

24. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं । इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं । साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो । केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें ।

25. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है । अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप सेअद्यतित करवाएं।

26. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान / विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं । राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं । इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

28. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है । इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

29. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई- सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

30. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

31. In non-Hindi speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

32. The officers/employees handling Hindi work including training and workshops should also be provided good and sufficient space and other necessary seating facilities in the office to facilitate them to discharge their duties properly.

33. Emphasis should be given on the use of popular words in our routine work so that citizens have an access to Government Policies/Programmes in simple Hindi language.

31. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए ।

32. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें ।

33. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें ।

MY YET ANOTHER EVENING

This is yet another normal day and yet another evening. Wake up, cook, fresh up, dress up and run to office. Deal with issues, deal with people and drain yourself for 8 hours and rush back home. In between this I catch up with few refreshing moments , as I sit in the railway station waiting for Hari. This is my time to feel connected with the world. I just sit alone feeling the moments. The Cool breeze is caressing me gently, just like a mother's touch.

Sitting under the vast sky and looking at the solitary star shining bright, I feel happy for being part of such a beautiful world. Spending most part of the day within four walls feels suffocating to the spirit. My soul breaths joyfully when I am sitting in the open place under the vast sky , it seems as if I have broken all the constraints of the world. I feel I'm being magnetically drawn into the limitless joys of the world and an urge within raises to break all confinements and walk out into the bigger world, to explore it with all the fire and passion.

As I am writing this I feel conscious of the men moving around while I am sitting alone here. Women are born insecure, though spirits want to fly high in the sky, we need to care for our physical safety too. This limitation makes me feel like a crippled bird, that has the strongest urge to fly but is unfortunately tied down. I need to reconcile with this fact.

It Feels good to watch people moving relaxed without masks. Life is back to pavilion after carona. This is the end of the day, people are not in a stress to meet targets. Living life in slow pace feels good and that's happening around me now. It adds peace to the ambience.

From somewhere a faint tune of a popular Tamil song is being heard. All my senses are calming down. Mind tries to catch up with the forgotten melodies. Does it strike a chord somewhere? Yes , it does. Was this not the same song that made me feel warm once,

was it not the one that made me drift into the dream world? This was and is trying to evoke similar feelings but with a lesser intensity. Songs we hear with our heart become an integral part of our Psych. As the song goes, memories too go with it. Unheard melodies may be sweetest but heard Melodies are sweeter too !!

It's growing dark around. Cool breeze is getting cooler and the chirping sound of the birds is getting calmer as they are settling down. Peace is prevailing every where. A naughty cloud is shedding few rain drops here and there, before vanishing into the thin air.

Within few seconds the whole station is reverberating with the evening prayers from a nearby mosque. This song of allah ho akbar gets drowned in the day time noise but now it's filling the ambience. It makes me nostalgic. Have I not grown up listening to this? This too was a part of my sweet childhood, many a times my father used to refer this prayer to us and remind us of the time to do our chores. So Allah ho Akbar was like an alarm clock for us. I can hear my father's voice with it, it feels dearer to my heart.

As I have lost in my own world, I haven't noticed a young couple who had come and sat next to me. Looks like they are exchanging some sweet nothings which I couldn't escape hearing due to my proximity to them and I couldn't stop smiling at their expressions. Love is in the air. and isn't it a beautiful feeling?

I can now see a light coming faster towards the station at a distance. Like a disciplined soldier, the local train enters the station with all its glory. Suddenly the station has become alive. People alight and board , walk in and out of the train with various emotions but the train leaves the station just like a saint who is untouched by the worldly affairs..

It brings me here again tomorrow and offers me the same beautiful moments. A thing of beauty is a joy forever and isn't it a ride that brings me joy beautiful too?

T.G. Vijaya Kumari - SDE / टी.जी. विजयकुमारी - उ मं अ

लेख

पैसे को समझने में गलत धारणाएं

मानव इस ग्रह पर अन्य प्रजातियों के साथ लाखों वर्षों से विद्यमान है। जो चीज़ मानव को दूसरों से अलग करती है जो अब सह-अस्तित्व में हैं और शेष जो इन वर्षों में विलुप्त हो गए हैं, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से और एक समूह के रूप में सोच और कार्य कर सकता है। अपने मस्तिष्क के विकास और विकास के माध्यम से मानव ने उसके लिए सोचना, याद रखना, बोलना, हंसना, भाषाओं का आविष्कार करना और शब्दांश लेखन को संप्रेषित करने और सामाजिक बनाने के लिए संभव बनाया और इन सबसे ऊपर उसे कल्पना करने, तलाशने, खोजने और कई तंत्र और उपकरण बनाने के लिए संभव बनाया। उसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएं।

आग पैदा करने के नवाचार और पहिये के आविष्कार को मानव जाति के इतिहास में सबसे महान माना जाता है जिसने उनकी जीवन शैली में तेजी से बदलाव का नेतृत्व किया और अंततः उन्हें केवल कठिन मेहनती शिकारी संग्राहक से परिष्कृत उपकरणों के साथ अधिक अवकाश वाले व्यक्ति में बदल दिया।

एक आविष्कार जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार मानता हूं, वह धन का आविष्कार है।

आदिम काल में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता केवल रोटी और कपड़ा ही थी। यह मूलभूत आवश्यकता वस्तुओं के आदान-प्रदान से पूरी होती थी जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रचुर मात्रा में चावल वाला व्यक्ति इसे दूसरे से नमक, दाल के लिए तेल या अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार बदल देगा।

लेकिन समय के साथ, जब उसकी ज़रूरतें बढ़ीं और दूसरे के लिए विनिमय के लिए कोई उपयुक्त वस्तु नहीं थी, तो मनुष्य को अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का आदान-प्रदान करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो पैसे की अवधारणा को जन्म देता है।

पैसा केवल बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की खपत को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया एक अभिनव विचार था।

हालांकि, धातु के सिक्कों जैसी मुद्रा के माध्यम से धन ने अपने अपनाने के शुरुआती वर्षों में मानव जाति को बहुत सुविधा प्रदान की थी, लेकिन इसने अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दिया और इसे देखने और संभालने में बड़ा बदलाव आया जब कागजी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, एक और अभिनव विचार, को जगह दी गई।

कु . सरवणन - स .अ

ARTICLE

THE MISCONCEPTIONS IN UNDERSTANDING MONEY

Human have been existing along with other species in this planet for millions of years. What makes Human stand out from others which co-exist now and the remaining which became extinct through these years is that he is the only one who can think and act individually and as a group. Human through the evolution and development of his brain made possible for him to think, remember, speak, laugh, invent languages and syllable writings to communicate and socialise and above all made him possible to imagine, explore , discover and create many mechanisms and tools to facilitate his day to day activities.

The innovation to create Fire and the invention of wheel are considered to be the greatest in the mankind history which spearheaded the rapid change in his living style and eventually transformed him from mere hard toiling hunter gatherer to a man with more leisure with sophisticated tools.

The one invention which I personally consider the greatest invention by the Man kind is the invention of MONEY.

In the primitive years, the basic necessity.of a man was only food and cloth. This basic need was satisfied by exchanging items what we call it as a barter system. Person with abundant rice will exchange it for salt from other, Oil for pulses or with any according to their need and convenience But Over a period of time , when his need grew and there were no suitable item for an exchange to the other , Man encountered practical difficulties in exchanging the items for his consumption which lead to the concept of money. The money was an innovative idea created only to facilitate the consumption of basic Goods and services.

Though Money through a currency like metal coins , had facilitated a lot to the man kind in the initial years of its adoption ,it completely changed its face and led to big paradigm shift in viewing and handling it in the due course when the paper currency and the Banking system ,another innovative idea, was put in place.

The interest rate system adopted in banking system led to the compounding of Money invested in it. Now the money can be either multiplied or loosed entirely depending upon the rewards and risks.

By now , Human as a social animal has added another element i.e. economy for his survival. Unlike other species which has no clue about money or economy for its survival, human is now totally dependent on the money, artificially invented by him, even for his very basic needs.

The money and Banking system, created to facilitate , has only made the human worsen.

Every species thrives and survives in this planet only by consuming the necessary need of food, air and water readily available in the ecological system except the human, who apart for his basic needs , consumes for his sophisticated leisure at the cost of the ecology.

There is no divide with in a species in this world and a great harmony in socialising can be seen among them, but human now are largely divided as have and have not's by the virtue of holding money or wealth.

This large disparity in holding money or wealth among human is the basic reason for almost every conflict that prevails now in both micro and macro level i.e. from a small society to large groups and nations.

K.Saravanan – VO

Arbitration

Brief Article on Arbitration Act important points

- Arbitration Act 1996 is enacted as per UNICITRAL model (United Nations Commission on International Trade Law). It will help to resolve the disputes of trade and contracts within countries and international level. This Act is now amended and renamed as Arbitration Act 2021.
- Arbitration is the method where the parties refer their disputes to resolve to one or many persons called as Arbitrator. He must be an independent & impartial third party. He is appointed by the agreement by the parties at the time of contact or trade.
- Advantages of Arbitration:
  a. Hearings are not conducted in open court so confidential.
  b. It is easy, effective & speedier process.
  c. Disputes are resolved amicably & peaceful manner.
  d. It is a unified legal form of settlement (Reduces Court load).
  e. Arbitration tribunals have power of civil court jurisdiction.
  f. Arbitration will be as per the agreement terms only. Arbitral award is binding on parties.

Arbitration Agreement: (Section 7)

It may be a Separate agreement OR Combined agreement.

- Separate agreement shall be in written & is to be signed by parties to submit to arbitration all or some disputes aroused between them in respect of defined legal relationship, whether contract or not. Parties also decide in writing that who will be an Arbitrator and what are the terms and conditions.

- Combined Agreement: (Contract agreement)
- It may be a reference to a written contract agreement which includes an Arbitration clause then it constitute as an Arbitration agreement between parties. In Government contracts the Arbitration clauses are included with details like who will be the Arbitrator, Place of Hearing and Charges payable etc.
- It may be exchange of Letters or Telecommunication by electronic media which provide a record for agreement.
- It may be exchange of statements of claims & defense in which shows the existence of an agreement alleged by one & not denied by the other.

Parties are free to decide number of arbitrator, usually it should be odd number (Sole Arbitrator or Panel of Arbitrators) the parties may decide about payment of arbitrator fees (usually 50:50) or In case parties are not in position to decide fee/ arbitrators they may seek the help of High Court.

Interim measures by Arbitration Tribunal Court (Section-9):

Before commence of arbitration it has the power to order to,

i. Appointment of guardian for Minor/unsound mind.
ii. Preservation, interim custody or sale of goods etc.
iii. Securing the amount in the dispute.
iv. Detention, preservation, inspection of property etc.
v. Interim injunctions or appointing of receiver.
vi. Any other interim measures of protection.

Arbitration has to start within 90 days of reference of dispute. Arbitrator has to treat all parties equal. Once arbitration started then usually court will not entertain the matters, exception to some cases.

Grounds for Challenge (Section-12)

- Before appointment of Arbitrator one has to disclose in writing that
    i. He fulfills the qualification fixed, no direct or indirect relation and no interest to the subject matter.
    ii. Ability to complete arbitration & ability to devote time for completion of arbitration within 12 months.
- Within 15 Days of aware of circumstances, party can challenge in written. If challenge is unsuccessful then arbitration can continued.
- Place of arbitration is as agreed by the parties OR Arbitrator may decide the place as per convenience of the parties or may decide as appropriate in the matter.
- Arbitration shall not bind for civil procedure code 1908 & Indian Evidence Act 1872

Default of Parties (Section-25)

- Claimant, fails to communicate his statement of claim then arbitration may terminate. If the Respondent doesn't communicate then arbitration will continue, treating he has forfeited his right. Parties fail to attend arbitration & produce documents then also arbitration may continue and submit the award.
- If parties agreed Expert may be appointed in arbitration. Court assistance is allowed to record the evidences. For award majority of arbitrators holds.
- Time limit for award is 12months from date of completion of pleadings. Parties may extend another 6months maximum. After allowed period, mandate of arbitrator terminate unless court extends. Court may extend the period for 6 months.
- Award within 6 months then arbitrator is eligible for 5% addition fees (if agreed by parties). The Court may order for reduction of fees by 5% for delayed award.

Settlement (Section-30)

- Parties may settle their dispute by any methods during pendency of arbitration. Settlement terminates the arbitration then award will be based on the agreed terms of settlement.
- Award of agreed terms, have same status and affect that of other arbitral award. Award is binding on parties and it is enforceable.

Set aside of Award (re-course to court), Section-34)

i. Formation of arbitration tribunal is not in order.
ii. Party was under some incapacity. Other party notice not served so unable to present his case.
iii. Arbitration agreement is not valid & Award is beyond the scope.

OR

If court finds that:

i. Subject matter of dispute is not capable of settlement in arbitration under the law or conflicts with morality or justice.
ii. Award is in conflict with public policy, fraud, corruption, confidentiality, violates or contrary to laws.

Conclusion: The Arbitration is the best remedy available under Alternate Dispute Resolution system, which is free from court procedures and delays. It is a win- win situation to both parties.

By

B. M. Budihal

DGM CN TX South HUBLI

9480961999

சில இதயங்கள்!

மழைத் துளிகள் அட்சதை என்று
மறுதலிக்காது நனையும்!

பட்சியின் ஒலிகள் அழைப்பென்று
பதிலாய்ப் பார்வையைத் திருப்பும்!

காணும் கடவுள் ஆதவன் என
கதிர்வரும் திசையே நோக்கும்!

தலை தாழ்ந்த கிளைகளின் தோழமைக்கு
தடவிக் கை குலுக்கும்!

தண்ணிலவையும் தாரகையையும் தாண்டி
தழல் சூரியனை மிக ரசிக்கும்!

உதிர்ந்த மலர்களும் விழித்திருக்குமென
உயிர்ச் சிதறல்களிடையே பாதை தேடும்!

இயற்கை எல்லாம் இன்பச்சிறையென
இசைந்து, இசைந்து தொலையும்!

அந்த சில இதயங்களை,என்றும்
ஐம்பூதங்கள் அறியும்!

- நந்தினி.சு
Nanthini S
SDE, CN-Tx South, Chennai

कोच्ची- लक्षद्वीप पनडुब्बी परियोजना – अवलोकन

दूरसंचार बढ़ाने के लिए कोच्ची से केंद्रशासनीय द्वीपसमूह तक एक पनडुब्बी ओ.एफ केबल डालने का काम इसी कार्यालय से शुरू होती है। इस लेख में इस परियोजना के बारे में कुछ लिखने का कोशिश है।

लक्षद्वीप- अवलोकन

लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी केन्द्रशासित प्रदेश है। केरल की पश्चिम किनारे में लगभग तीन सौ से चार सौ की.मी तक दूरी पर है यह द्वीपसमूह। इस समूह में लगभग छत्तीस एटोल है। ग्यारह एटोल आबादवाले है शेष एटोल गैरआबादी वाले है। मिनीकॉय, कवरत्ती , कल्पेनी, आंड्रोत्त, अगत्ति, बंगारम, अमिनी, कड्मत्त,किलतान,चेतलत,बित्रा आदि द्वीप आबादवाले है।

सभी द्वीप के चारों ओर विशाल समुद्र तट है। स्नोर केलिंग, स्कूबा डाईविंग आदि मनोरंजन यहां पर उपलब्ध है । पूरे द्वीप समूह कोरल रीफ से बनाए हुए हैं। द्वीप समूह प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां पर जाने केलिए प्रशासन का परमिट चाहिए। द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती में सभी प्रशासन कार्यालय उपलब्ध है। बंगारम, कड्मत्त ,कवरत्ती, अगत्ति आदि द्वीप पर्यटन स्थल है। यहां पर स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं।

भारत की आज़ादी के अवसर पर इस द्वीपसमूह को लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनीदिवि द्वीप कहलाता था। लेकिन 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप बन गया। कुछ लोगों के अनुसार अनेक (लाखों) द्वीपों के समूह होने के कारण लक्षद्वीप नाम पड़ गया । यह भी कहा जाता है कि नाविकों को रास्ता (लक्ष्य) दिखानेवाले के अर्थ से लक्षद्वीप नाम आया है।

द्वीपवासियों का मुख्य भाषा मलयालम है। मिनीकॉय के लोग महल और हिन्दी में भी बातचीत करते है। द्वीप में मुख्य रूप से नारियल के पेड़ है। लोगों का मुख्य शौक मछली पकड़ना है। कुछ लोग जहाज में काम करते हैं। द्वीप में नारियल और मछली के बिना भोजन के लिए और कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। सभी सामान, मुख्य भूमि केरल और कर्नाटक से आते है। मुख्य भूमि से द्वीप तक जाने केलिए जहाज है। द्वीप के बीच में यात्रा के लिए भी जहाज मिलेगा। अगत्ति में जाने के लिए हवाई जहाज मिलेगा।

द्वीप समूह में आसपास अस्सी हज़ार लोग रहते है। आंड्रोत्त,कवरत्ती, मिनीकॉय आदि बड़े द्वीप में पंत्रह सौ से बीस सौ तक लोग रहते हैं। बंगारम और बिंत्रा में रहनेवाले लोगों की संख्या बहुत कम है। हर एक द्वीप में पाठशाला, आस्पताल आदि उपलब्ध है। यहां के लोग नारियल का प्रसंस्करण करके कोप्रा तथा तेल निकालते हैं। कोप्रा , तेल और मछली को बेचकर लोग आजीविका करते हैं।

परियोजना का पार्श्वभूमि

बीएसएनएल का संचार सभी आबादवाले द्वीप में उपलब्ध है। आज संचार में उपग्रह तकनीकी से काम चलती है। इस तकनीक में सीमित बैंड विड्थ है। इसी कारण द्वीपवासियों को डेटा संचार अच्छी तरह से नहीं

KLI Project Details

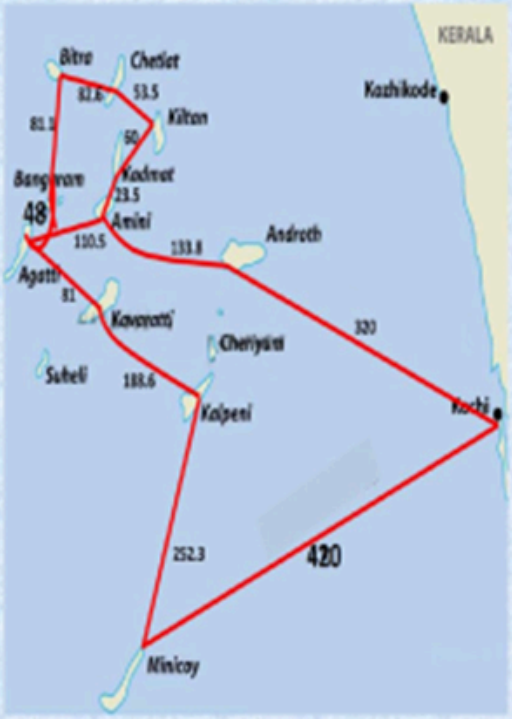

- To connect the 11 inhabited islands of Lakshadweep to the mainland at Kochi through on submarine Optical Fiber Cable from Androth and Minicoy islands of Lakshadweep to form a ring architecture.

Key Details

- Est. Cost – 1072 Crore (excluding taxes)
- Est.Cable Length – 1891 km.
- 6 Fiber pair Submarine Optical fiber Cable
- No. of Unrepeatered sections – 12 (twelve)
- Repeatered Section – One (Kochi-Minicoy)

मिलता है। साथ में केंन्द्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अर्थात ई- लेनिंग, ई-मेडिसिन, ई गवेर्नस, स्मार्ट सिटी आदि की घोषणा भी किया है । इसी को लागू करने के लिए ज्यादा बैंड विड्थ की आवश्यकता है। इसलिए द्वीप वासियों के संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंन्द्र सरकार ने पनडुब्बी केबल परियोजना की घोषणा किया।

<u>अवलोकन</u>

इस परियोजना की घोषणा 2019 आगस्त में प्रधान मंत्री ने किया। इसका वित्तीय सहायता यू एस ओ एफ से प्राप्त हुआ। लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपए हैं। समापन की प्रस्तावित समय मई 2023 है। परियोजना का सलाहकार टी सी आई एल है। बी एस एन एल कार्यकर्ता एजंसी है।

टी सी आई एल ने डेस्कटॉप अध्ययन के बाद इसका डी पी आर बन गई। डी पी आर को सरकार ने अनुमति प्रदान किया। डी पी आर के अनुसार मुख्य भूमि से ओ एफ सी डालकर सभी द्वीप को ओ एफ सी में कनक्ट करना ही इसका मुख्य काम है। कनेक्टिविटी आरेख नीचे दिया हुआ है। विभिन्न सरकारी विभाग से केबल डालने की अनुमति भी मिल गया है।

डी पी आर के अनुसार बी एस एन एल कोर नेटवर्क दक्षिण एरणाकुलम कार्यालय ने काम करना शुरू किया। पहले समुद्र में ओ एफ सी डालने का रास्टे का सर्वे किया गया। इस सर्वे से कोच्चि से द्वीप तक और द्वीप के बीच में समुद्री बिस्तर के बारे में सभी डेटा मिल गया। इस डेटा को विश्लेषण करके ओ एफ सी डालने का रास्ता निकाला गया। इसके लिए कुल अठारह सौ किलोमीटर ओ एफ सी चाहिए। ओ एफ सी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू किया। पनि के अंदर ओ एफ सी डालने के लिए उसकी गहराई के अनुसार ओ एफ सी में विभिन्न सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना है। समुद्र की किनारे की ओर कम गहराई में दो कवच और गहराई अधिक होने पर एक ही कवच ओ एफ सी केबल डालना है। किनारे में पानी की गहराई तीन मीटर जाने तक समुद्रतल खोदकर अधिक सुरक्षा कवच के अंदर पनडुब्बी केबल डालते है। केबिल डालने से पहले तल स्वच्छ और सतही करने की आवश्यकता है। इसको प्रीलेषोर एक्टिविटी कहलाते हैं। इसके बाद केबल समुद्र में डालते हैं।

इस परियोजना में कोच्ची (परवूर) बी एस एन एल संचार केंद्र से मुख्य भूमि में डालनेवाला ओ एफ केबल चेरायी समुद्रतट तक दो रास्ते से जाते है। समुद्र किनारे में हर एक केबल को विभिन्न केबल चैंबर बनाया गाया है। यहां पर भूमिगत केबल और पनडुब्बी केबल जोड़ना पड़ेगा।एक केबल आंड्रोत्त द्वीप की दिशा में जाता है। फिर आंड्रोत से अमिनी, कड्मत,किलतान,चेतलत,बिंद्रा,बंगारम द्वीपों में केबल पहुंचता हैं। बंगारम से अगत्ति – कवरत्ती – कल्पेनी – मिनीकॉय जाकर वापसी दिशा में चेरायी किनारे में दूसरा चैंबर में आता है। यहां से भूमिगत केबल में जोड़कर परवूर संचार केंद्र तक आता है। मुख्य भूमि कोच्चि में इस पनडुब्बी का केंद्र परवूर बी एस एन एल संचार केंद्र के पहली मंज़िल में है।

कवरत्ती,बिंद्रा,बंगारम और किलतान द्वीप में इसी परियोजना के लिए नई इमारत का निर्माण हुआ है। शेष बी एस एन एल केंद्र के पहली मंज़िल उपयुक्त करता है।

संचार केंद्र से समुद्रतट तक के दूर के अनुसार एक्टिव रिपीटर ओ एफ केबल तथा पासीव रिपीटर और रिपीटर बिना ओ एफ केबल डालना है। इस परियोजना में परवूर – मिनीकॉय की दूरी चार सौ की मी के ऊपर है। इसलिए इस खंड में एक्टिव रिपीटर केबल डालना है। परवूर - आंड्रोत्त खंड में पासीव रिपीटर केबल और अलग खंडों में रिपीटर बिना केबल भी डालना है।

इस ओ एफ सी को द्वीप समूह में असीमित बैंड विड्थ देने का क्षमता हैं। डी पि आर के अनुसार इस परियोजना से 200 जी.बी बैंड विड्थ द्वीपसमूह को मिलेगा। इस बैंड विड्थ आज का बैंड विड्थ का सौ गुना है। इसी तरह बैंड विड्थ बढ़ने से द्वीपसमूह का बुनियादी जीवन बढ़ जाएगा।

इस अवसर पर इस परियोजना को और इस के साथ काम कर रहेसभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं। और इस गौरवपूर्ण परियोजना निश्चित समय में ही पूरा होने की प्रार्थना भी करता हूं।

विनोद एस
उप महा प्रबंधक परियोजना
कोर नेटवर्क –ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप
कोर नेटवर्क –ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप के
ऑनलाइन गृहपत्रिका संचार रत्न में वर्ष 2022 में प्रकाशित लेख

-- R.DHANYA D/o. P.JEYANTHI - SDE CN Tx- S Circle office

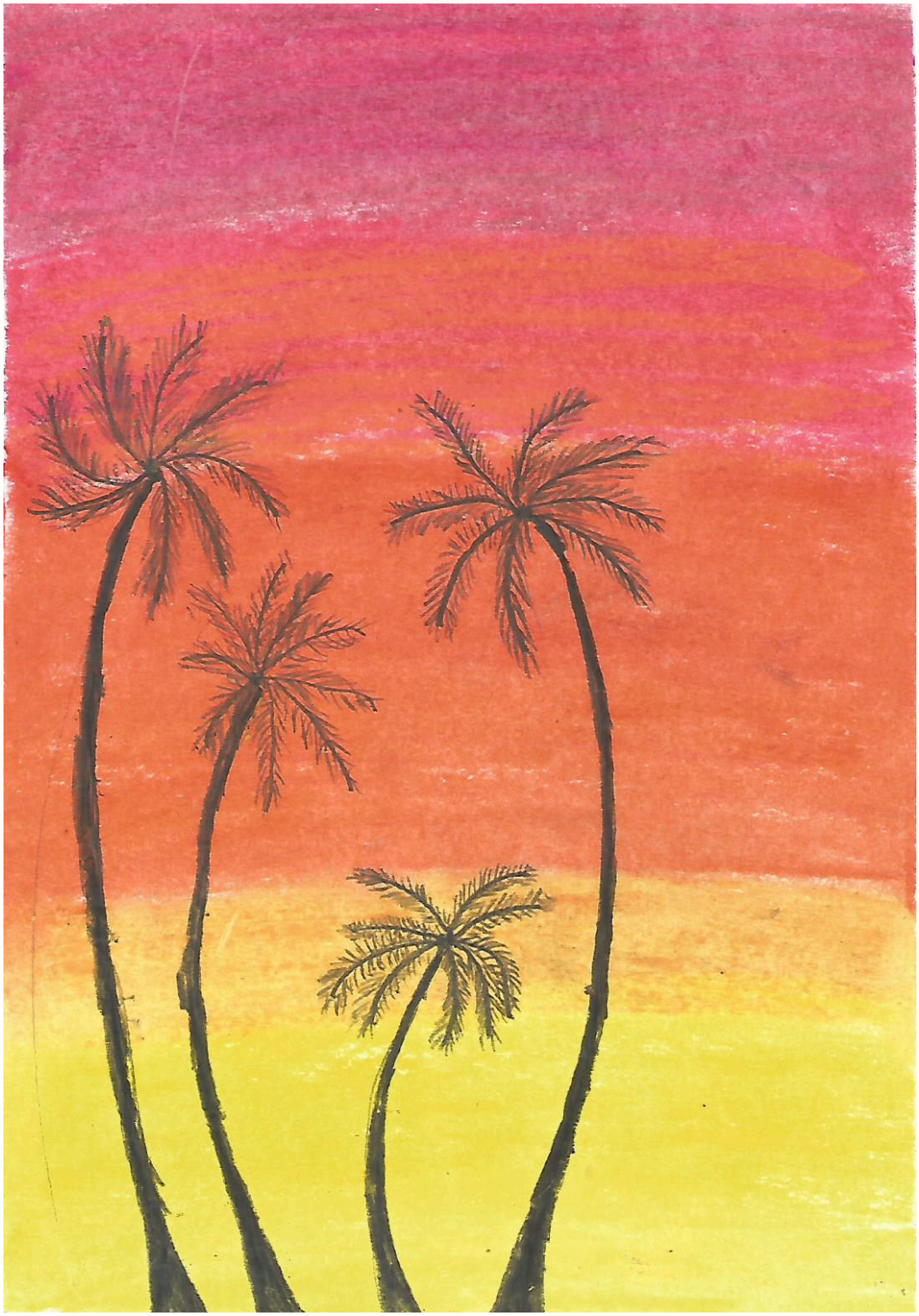

-- NEHA S. MAHABALSHETTI D/o. RAJESHWARI B.AKKI - AGM (Admn)

-- NEHA S. MAHABALSHETTI D/o. RAJESHWARI B.AKKI - AGM (Admn)

-- NEHA S. MAHABALSHETTI D/o. RAJESHWARI B.AKKI - AGM (Admn)

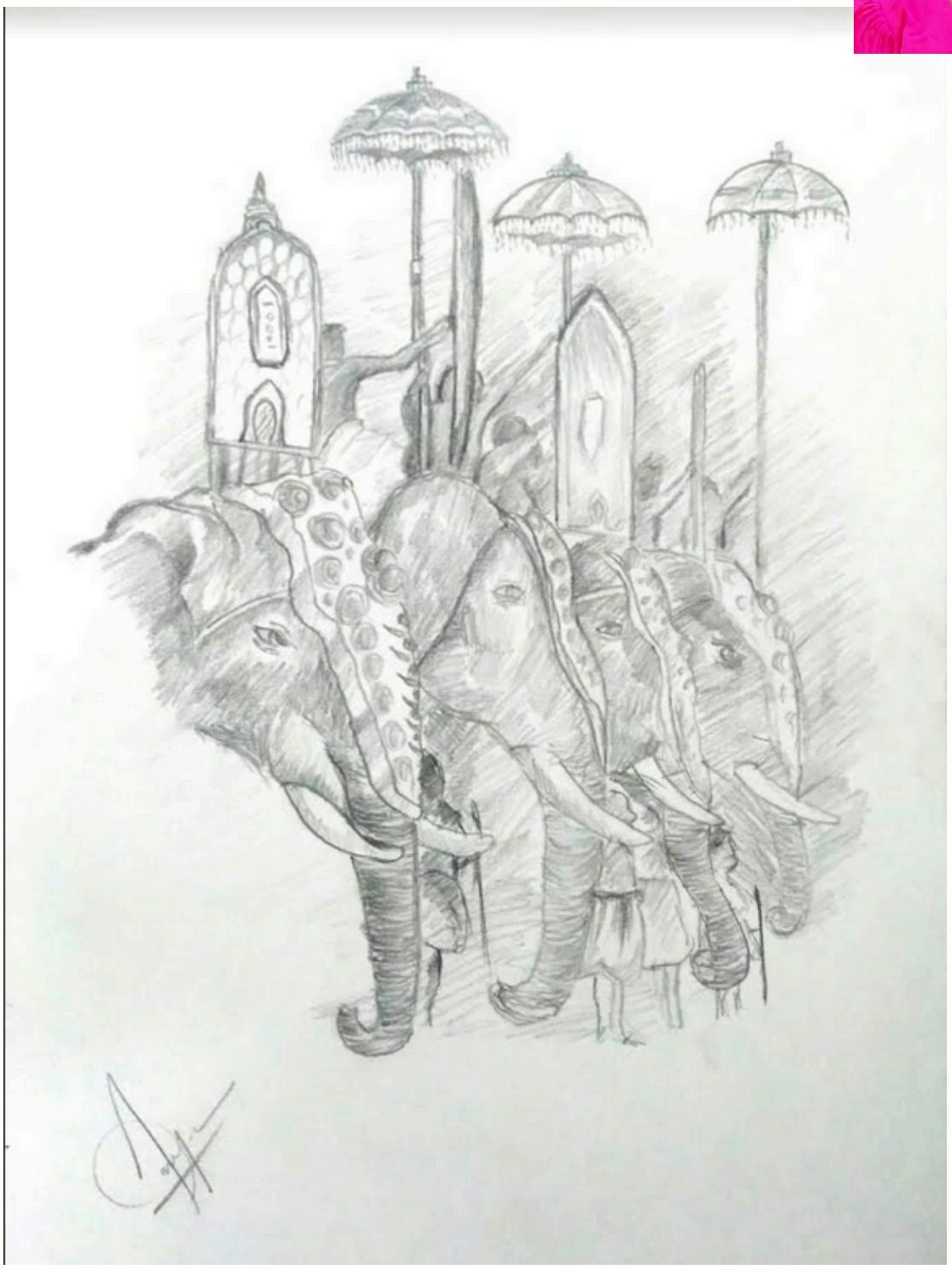

-- Ameya Jeesh - D/o. Smt. Manjusha .T.K - SDE

-- Smt. Priya Varma - AGM (Admn)

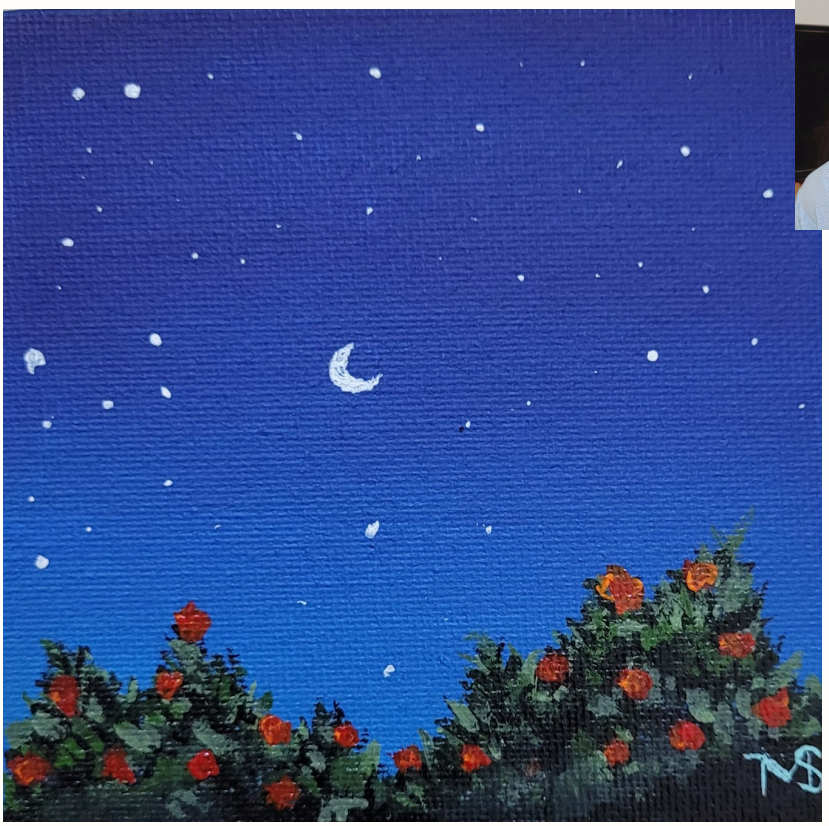

N. Manaswini D/o N. Gurudhar AGMi

हिंदी पखवाडा -2023 की झलकियाँ

हिंदी पखवाडा -2023 की झलकियाँ

कोर नेटवर्क- ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप इकाई के लिए एक और गर्व का क्षण।

आदरणीय वरिष्ठ महा प्रबंधक श्री.सुकुमारन सर केरल के माननीय राज्यपाल श्री. आरिफ मोहम्मद खान से और ड़ा. षीना मोल पायित्तरा , कनिष्ठ हिंदी अनुवादक माननीय गृह राज्य मंत्री श्री. अजय कुमार मिश्रा, से वर्ष 2020-21 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पी एस यू) कोच्चि द्वारा प्रदत्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्तम राजभाषा कार्यनिष्पादन के लिए प्रथम और कोर नेटवर्क-ट्रांसमिशन एरणाकुलम & लक्षद्वीप की गृहपत्रिका संचार रत्न के लिए सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करते हुए महा प्रबंधक श्री. सुकुमारन एन के और हिंदी अनुवादक ड़ा. षीना मोल ।

नराकास चेन्नै द्वारा आयोजित संगीत व अंताक्षरी प्रतियोगिता

GM CN Tx - S Chennai receiving III prize for Singing conducted by TOLIC Chennai.

Both Rizwana K. Pathan - AGM and H. Hima Bindu -SDE receiving Prize for Antakshri conducted by TOLIC Chennai.

कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता

Ms. DEEKSHITHA GDS 1ST PRIZE IN JUNIOR ARTIST CATEGORY

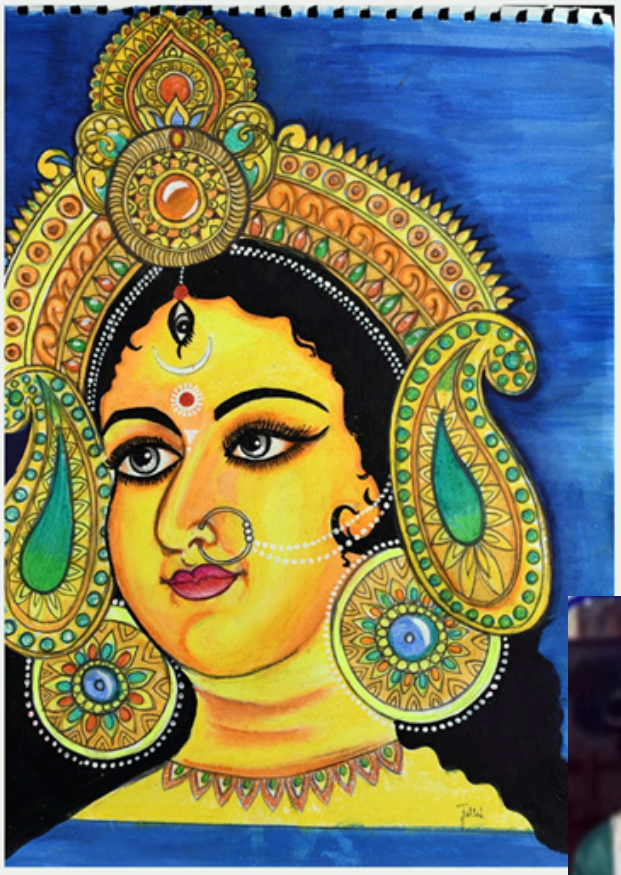

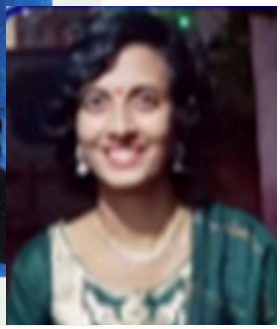

Mrs JATALA SRI LAKSHMI VISHALA SPARKLING ARTIST OF ANDHRAPRADESH

कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता

Ms. N.LAKSHMI

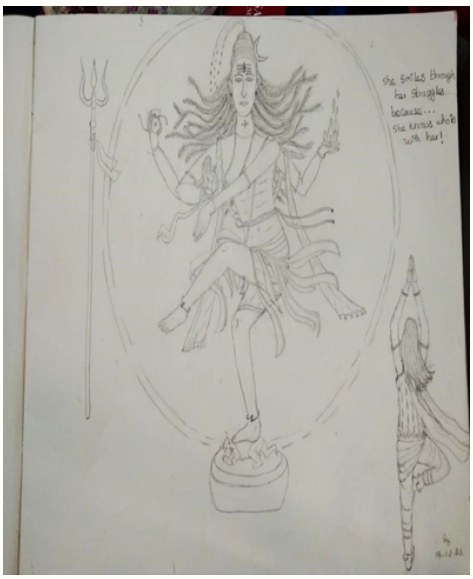

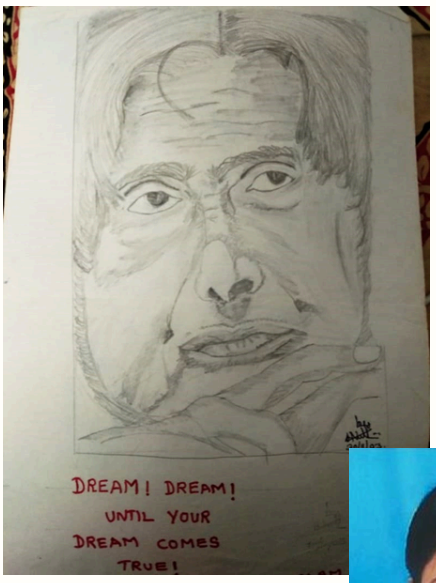

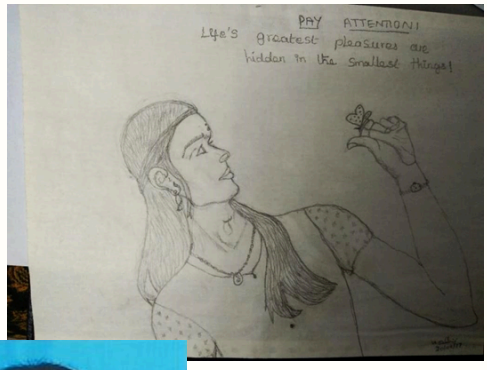

Ms. NANTHINI S

कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता

Ms.SHIRLEY.R

कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता

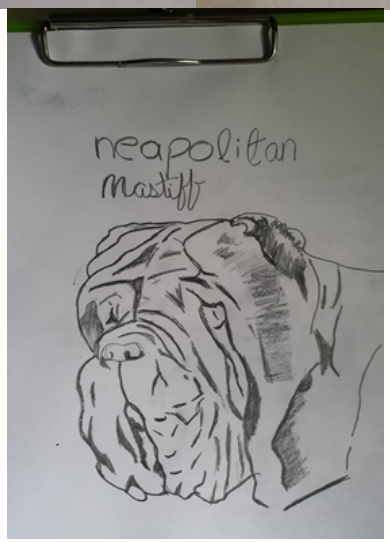

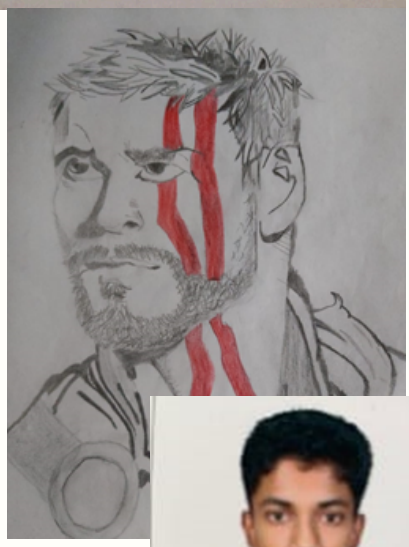

Master RAGHAVAN G

कलामंजुशा - राष्ट्रीय ऑनलाइन कला प्रतियोगिता

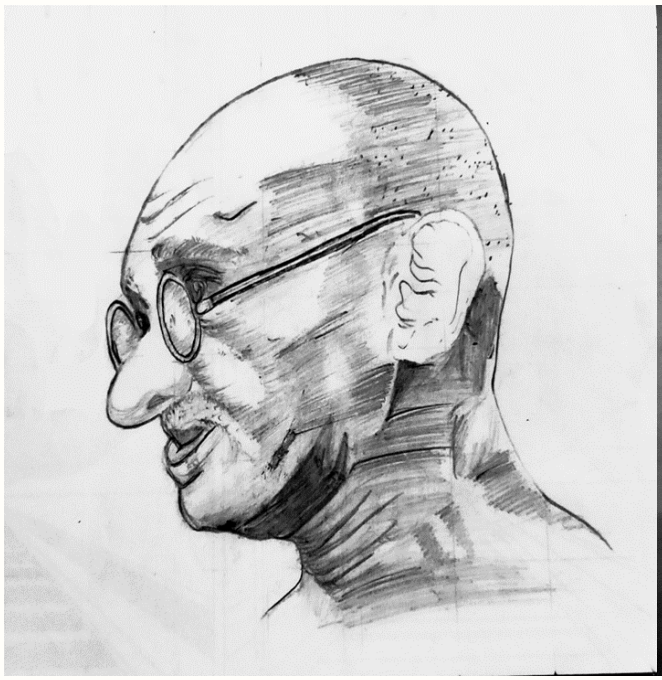

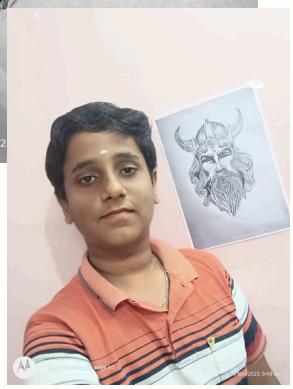

Master SAIPRANAV KARTHIKEYA G

Ms. RAJARAJESHWARI TUMMURI

Annual Programme for 2023-24 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORK	'A' REGION	'B' REGION	'C' REGION
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 65% 4. From Region A 100% to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C55% 4.From Region B 90% to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55% 4. From Region C to 55% Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3.	Noting in Hindi	75%	50%	30%
4.	Training Programme through Hindi Medium	70%	60%	30%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	80%	70%	40%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)	65%	55%	30%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material	100%	100%	100%
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
10.	Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.	100%	100%	100%

11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices)	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
(II) Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
(III) Joint inspections by the officers concerned& those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspection in a year.		
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi SalahakarSamiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)		
15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%	100%	100%
16 Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.	40%	30%	20%
	(Minimum Sections)		
	40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of sections.		

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग)		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।		

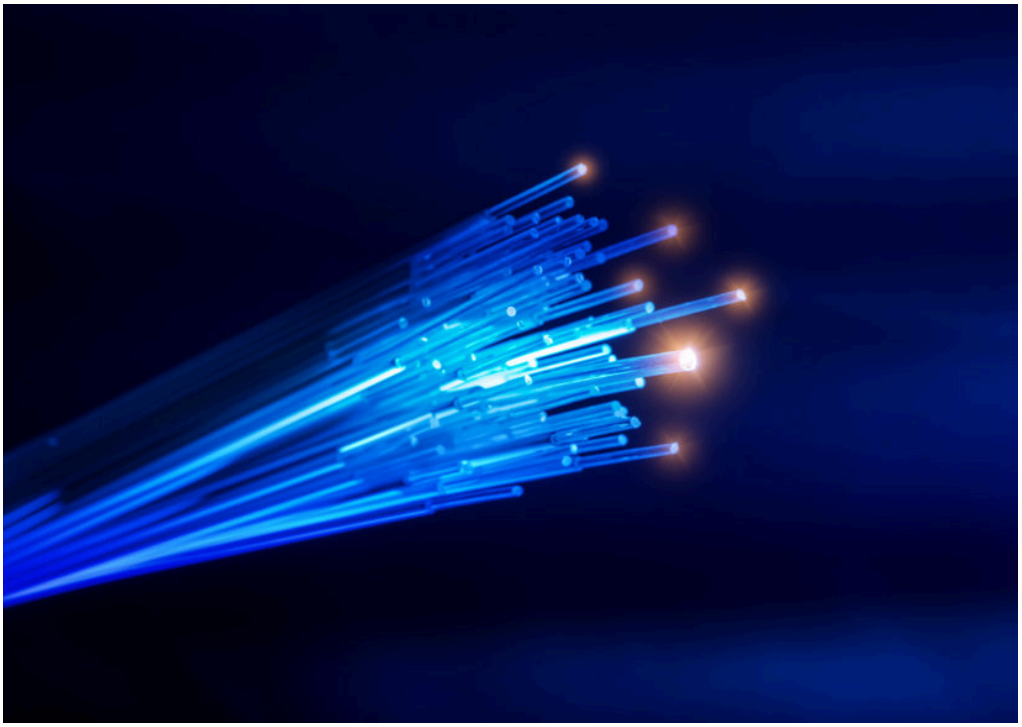

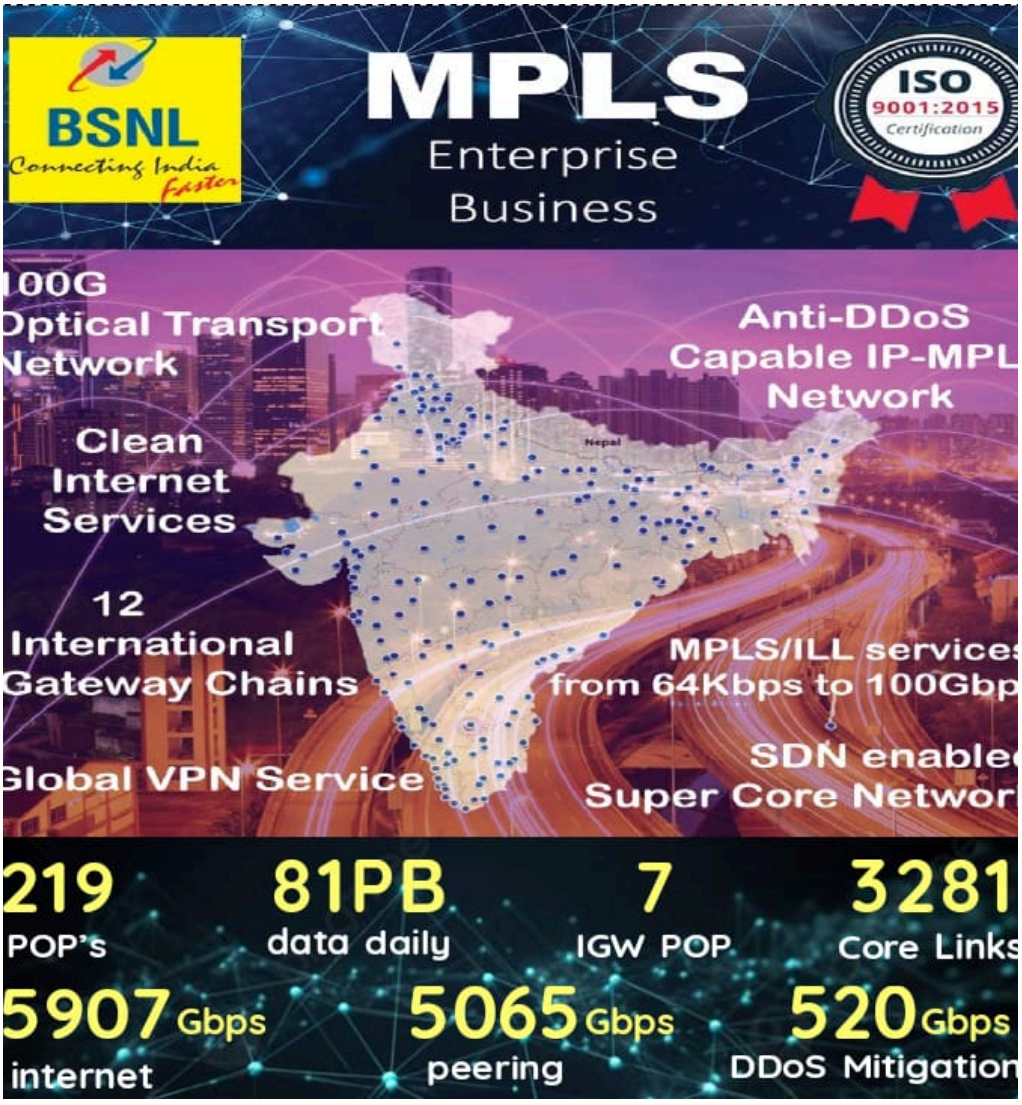
BSNL
Connecting India Faster
MPLS
Enterprise
Business
ISO
9001:2015
Certification
100G
Optical Transport
Network
Anti-DDoS
Capable IP-MPL
Network
Clean
Internet
Services
12
International
Gateway Chains
MPLS/ILL service
from 64Kbps to 100Gbp
Global VPN Service
SDN enable
Super Core Networ
219
POP's
81PB
data daily
7
IGW POP
3281
Core Link
5907 Gbps
internet
5065 Gbps
peering
520 Gbps
DDoS Mitigation

IP आधारित अत्याधुनिक VSAT ब्रॉडबैंड सेवाएं

एक ही प्लेटफॉर्म पर BSNL VSAT ब्रॉडबैंड सेवाएं दुर्गम / दूरदराज के क्षेत्रों सहित शीघ्र नेटवर्क तैनाती के लिए कॉर्पोरेट निकायों, बैंकों, अस्पतालों, स्टॉक एक्सचेंजों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकार, सेना आदि के लिए एक वरदान है।यह WAN एप्लिकेशन के लिए मौजूदा BSNL VPN and MLLN के साथ भी काम करता है

सेवाएं दी गईं

- IP प्लेटफॉर्म पर VSAT के माध्यम से लिज़ड लाइनें: 4 Kbps से आगे
- DVB-S2X सक्षम
- तेज़ रफ़्तार ब्रॉडबैंड इंटरनेट
- VPN नेटवर्किंग
- Voice Telephony
- Facsimile
- Telemedicine
- E-Learning
- Video Conferencing and Video Streaming